



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 20 अक्टूबर, 2005 ई0

आश्विन 28, 1927 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 593/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005

देहरादून, 20 अक्टूबर, 2005

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) विधेयक, 2005 पर दिनांक 19 अक्टूबर, 2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 21, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है-

उत्तरांचल विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) अधिनियम, 2005

(अधिनियम संख्या 21, वर्ष 2005)

31 मार्च, 2006 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये-

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित-

1-यह अधिनियम उत्तरांचल विनियोग (2005-2006 का अनुपूरक) अधिनियम, संक्षिप्त नाम 2005 कहलायेगा।

उत्तरांचल की
समेकित निधि में
से वर्ष 2005-
2006 के लिये
रु0 8579558000
का दिया जाना

2-ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तरांचल की समेकित निधि में से इतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रु0 85795580000 (रुपये आठ सौ सत्तावन करोड़ पचानवें लाख अट्ठावन हजार मात्र) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3-इस अधिनियम द्वारा उत्तरांचल की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपयों में)			
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग	
1	2	3			
01.	विधान सभा	राजस्व	1293	0	1293
		पूँजी	0	0	0
02.	राज्यपाल	राजस्व		1500	1500
		पूँजी			0
04.	न्याय प्रशासन	राजस्व	777		777
		पूँजी			0
06.	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	89190		89190
		पूँजी			0
07.	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व	152659	700000	852659
		पूँजी	20000		20000
08.	आबकारी	राजस्व	1774		1774
		पूँजी			0
09.	लोक सेवा आयोग	राजस्व		1850	1850
		पूँजी		10000	10000
10.	पुलिस एवं जेल	राजस्व	31532		31532
		पूँजी	60600		60600
11.	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	450255		450255
		पूँजी	38737		38737
12.	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	561885		561885
		पूँजी	0		0
13.	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	1149792		1149792
		पूँजी			0
14.	सूचना	राजस्व	19300		19300
		पूँजी			0
15.	कल्याण योजनायें	राजस्व	360062		360062
		पूँजी	1490		1490
16.	श्रम और रोजगार	राजस्व	24067		24067
		पूँजी			0

1	2	3		
17.	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	103918	103918
		पूँजी		0
18.	सहकारिता	राजस्व	147500	147500
		पूँजी		0
19.	ग्राम्य विकास	राजस्व	446007	446007
		पूँजी		0
20.	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	29245	29245
		पूँजी	964300	964300
22.	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	116200	3500 119700
		पूँजी	993000	993000
23.	उद्योग	राजस्व	130454	130454
		पूँजी	420000	420000
24.	परिवहन	राजस्व	1162	1162
		पूँजी	414538	414538
26.	पर्यटन	राजस्व	15000	15000
		पूँजी	100000	100000
27.	वन	राजस्व	314625	314625
		पूँजी	25000	25000
28.	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	2909	2909
		पूँजी	50842	50842
29.	औद्यानिक एवं रेशम विकास	राजस्व	18154	18154
		पूँजी		0
30.	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	312709	312709
		पूँजी	217165	217165
31.	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	58446	58446
		पूँजी	18121	18121
महायोग—			7862708	716850 8579558

आज्ञा से,

यू० सी० ध्यानी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of The Uttaranchal Appropriation (Supplementary of 2005-2006) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 21 of 2005).

No. 593/Vidhayee and Sansadiya Karya/2005

Dated Dehradun, October 20, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on October 19, 2005 :

THE UTTARANCHAL APPROPRIATION (Supplementary 2005-2006) ACT, 2005
(Act No. 21 of 2005)

To authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the year ending on Thirty first day of March, 2006

AN

ACT

IT IS HEREBY enacted in the Fifty sixth year of the Republic of India by the Uttaranchal State legislative Assembly--

Short Title

1. This Act may be called the Uttaranchal Appropriation (Supplementary 2005-2006) Act, 2005.

Issue of Rs. 8579558000 out of the Consolidated Fund of Uttaranchal for the year 2005-2006

2. From and out of the Consolidated Fund of Uttaranchal there may be paid and applied sums not exceeding those specified in Column 3 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. 8579558000 (Rs. Eight hundred fifty seven crore ninety five lakh fifty eight thousand only) towards defraying the several charges, which will come in course of payment during the year ending on the Thirty first day of March, 2006 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the Schedule.

Appropriation

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of Uttaranchal by this Act shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the year ending on the Thirty first day of March, 2006.

SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

Grant/ Serial No.	Services and Purpose	Sums not exceeding (In thousands of rupees)			
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund of the State	Total	
1	2	3			
01.	Legislature	Revenue	1293	0	1293
		Capital	0	0	0
02.	Governor	Revenue		1500	1500
		Capital			0
04.	Judicial Administration	Revenue	777		777
		Capital			0
06.	Revenue & General Administration	Revenue	89190		89190
		Capital			0
07.	Finance, Tax, Planning, Secretariat & Miscellaneous Services	Revenue	152659	700000	852659
		Capital	20000		20000
08.	Excise	Revenue	1714		1714
		Capital			0
09.	Public Service Commission	Revenue		1850	1850
		Capital		10000	10000
10.	Police & Jail	Revenue	31532		31532
		Capital	60600		60600
11.	Education, Sports, Youth Welfare & Culture	Revenue	450255		450255
		Capital	38737		38737

1	2	3		
12.	Medical, Health & Family Welfare	Revenue	561885	561885
		Capital	0	0
13.	Water Supply, Housing & Urban Development	Revenue	1149792	1149792
		Capital	0	0
14.	Information	Revenue	19300	19300
		Capital	0	0
15.	Welfare	Revenue	360062	360062
		Capital	1490	1490
16.	Labour & Employment	Revenue	24067	24067
		Capital	0	0
17.	Agriculture Works & Research	Revenue	103918	103918
		Capital	0	0
18.	Co-operative	Revenue	147500	147500
		Capital	0	0
19.	Rural Development	Revenue	446007	446007
		Capital	0	0
20.	Irrigation & Flood	Revenue	29245	29245
		Capital	964300	964300
22.	Public Work	Revenue	116200	119700
		Capital	993000	993000
23.	Industries	Revenue	130454	130454
		Capital	420000	420000
24.	Transport	Revenue	1162	1162
		Capital	414538	414538
26.	Tourism	Revenue	15000	15000
		Capital	100000	100000
27.	Forest	Revenue	314625	314625
		Capital	25000	25000
28.	Animal Husbandry	Revenue	2909	2909
		Capital	50842	50842
29.	Horticulture Development	Revenue	18154	18154
		Capital	0	0
30.	Welfare of Scheduled Castes	Revenue	312709	312709
		Capital	217165	217165
31.	Welfare of Scheduled Tribes	Revenue	58446	58446
		Capital	18121	18121
Grand Total--			7862708	716850
				8579558

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.